

पत्रांक 2269/विधि-अनु0/ आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर0/09-10/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि -अनुभाग)  
देहरादून :: दिनांक :: 3 सितम्बर-09

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा अधिसूचना स0-646/2009/8(120)/xxvii(8)/2009  
/दिनांक 01 सितम्बर-09 जारी करते हुए उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,  
2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की  
अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने से अवगत कराया गया है।

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक संख्या 9 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित  
प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-

“पैकिंग के सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स,  
प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टून, जैरी कैन, थैले, (ख)पुर्न-चकित कागज से बने  
मोल्डिड ट्रे (ग)जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ)लेमिनेटिड जूट के बोरे,  
(ङ)खाली ग्लास बोतल एवं फिअल्स।”

शासन द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि  
शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न उपरोक्तानुसार।

(एल0एम0पन्त)  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0प0सं0 2269/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन  
रूद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

-2-

141vi

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /2009/8(120)/XXVII(8)/2009

दिनांक: देहरादून :: 2009

1 सितम्बर

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है—  
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-11(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-11(ख) में क्रमांक संख्या 9 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्—

"पैकिंग के सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टून, जैरी कैन, थैले, (ख) पुर्न-चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटिड जूट के बोरे, (ङ) खाली ग्लास बोतल एवं फिअल्स।"

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 646 /2009/8(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

4605  
2-9-09

अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही

New Vignette/ Empty Bottles/DT

02 09 09

आज्ञा से,  
C. J. Jaiswal  
(सी0एस0संमवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 66/2009/8(120)/XXVII(8)/2009 dated 01 Septem, 2009 for general information.

Uttarakhand Shashan

VITTA VIBHAG

No. 66/2009/8(120)/XXVII(8)/2009

Dehradun :: Dated: : 01 Septe 2009

**Notification**


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule- II(B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

**Amendment**

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 9, the following entry shall be substituted; namely-

"Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods, (d) laminated jute bags, (e) empty glass bottle and phials."



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.